कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में नेशनल एडाप्टेशन फण्ड आन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत "Climate resilience building in rural areas through crop residue management" परियोजना कियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक : 24 अप्रैल, 2019
समय : 11.30 बजे पूर्वाह्न
स्थान : सभाकक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अनुमति से सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा उक्त विषयक वन, पर्यावरण एवं जलवायु अनुकूल मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत परियोजना पर एक संक्षिप्त पॉवर प्वांइट प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया।

उक्त परियोजना मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 04 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली हेतु संकलित रूप से स्वीकृत की गयी है। कृषि अपशिष्टों के In-Situ management को सन्दर्भित करते हुये भारत सरकार द्वारा यह परियोजना स्वीकृत की गयी है। परियोजना की कुल लागत रू0 22.55791 करोड़ है जिसका कियान्वयन वर्ष 2018–21 के दौरान किये जाने के निर्देश हैं। परियोजना के कियान्वयन हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 8.3038 करोड़ कृषि निदेशालय में स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में खोले गये प्रोजेक्ट एकाउण्ट में अक्टूबर, 2018 से ही जमा है।

परियोजना के कियान्वयन की प्रगति के बारे में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा की गयी अपेक्षा के कम में निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना प्रदेश के 07 जनपदों क्रमशः मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ तथा मुजफ्फरनगर के 100 चयनित गॉवों में कियान्वित की जानी है। जनपदवार 92 गॉवों का चयन भी कर लिया गया है, किन्तु क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना के कियान्वयन हेतु भौतिक रूप से अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परियोजना में आवंटित धनराशि के अधिकांश भाग का उपयोग विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों को कय किये जाने के निर्देश हैं, जबकि विभाग द्वारा संचालित Promotion of In-Situ management of Agriculture residue NFSM, RKVY & Plant Protection योजना में भी विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के कय किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी परिस्थिति में राज्य जैव ऊर्जा नीति के कियान्वयन के आलोक में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के फैसिलिटेशन से स्थापित होने वाले जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना कार्य में उक्त धनराशि का उपयोग किया जाना ज्यादा उपयोगी एवं व्यावहारिक होगा। बोर्ड के इस प्रयास से किसानों को उनके फसलोत्पाद का मूल्य तो प्राप्त

होगा ही, उन्हें उनके फसल अपशिष्टों की बिक्री से भी अतिरिक्त आय हो जायेगी क्योंकि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर फसल अपशिष्ट जैव ऊर्जा उद्यमों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित समस्त परियोजनायें ऊर्जा क्षेत्र में आत्म–निर्भरता प्रदान करने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को भी मूर्त रूप प्रदान करने में सहयोगी हैं। अतः कृषि अपशिष्टों के In-Situ management हेतु जारी धनराशि को Ex-Situ management मद में परिवर्तित किया जाना उचित होगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा In-Situ management के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से जारी उक्त धनराशि का उपयोग फसल अपशिष्टों के Ex-Situ management मद में परिवर्तित किये जाने हेतु नाबार्ड का मत जानना चाहा। जिसके क्रम में नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय मंत्रालय स्तर पर ही हो सकता है। इस हेतु राज्य सरकार की ओर से मंत्रालय को अनुरोध पत्र प्रेषित करना होगा।

उक्त विस्तृत परिचर्चा तथा फसल अपशिष्टों के समयबद्ध, पर्यावरण प्रिय एवं उत्पादक उपयोग के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विवरण की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

1– फसल अपशिष्टों के In-Situ management हेतु जारी धनराशि का उपयोग फसल अपशिष्टों के Ex-Situ management मद में किये जाने हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु अनुकूल मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध पत्र यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, कृषि विभाग एवं नाबार्ड)

2– सम्पूर्ण राज्य के आलोक में फसल अपशिष्टों के Ex-Situ management (जैव ऊर्जा उत्पादन आधारित) की बैंकेबुल कार्य योजना शीघ्र तैयार कर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उच्च स्तर से प्रेषित कर दी जाये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड एवं कृषि विभाग)

3– उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से लखनऊ स्थित कृषि फार्म पर जैव ऊर्जा उद्यमों एवं बायोमास कल्टीवेशन तथा Aggregation of crop residue से सम्बन्धित विभिन्न मॉडलों को विकसित किया जाये जिससे विभागीय अधिकारियों के साथ–साथ प्रदेश भर से प्रशिक्षण के लिये आने वाले किसानें को भी कृषि अपशिष्टों के उत्पादक उपयोग से अवगत कराया जा सके। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा

विकास बोर्ड को निर्देशित किया गया कि बोर्ड स्तर से एक विस्तृत प्रस्ताव कृषि विभाग को शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड एवं कृषि विभाग)

4— उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं का सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि शासकीय सूचना माध्यमों से व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

तदोपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

संलग्नक : यथोक्त।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
(नियोजन विभाग)
कक्ष संख्या : 534—535, पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ,
पत्रांक : 43 /उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2019
लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/पर्यावरण विभाग/गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग/उद्यान विभाग तथा पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. समस्त प्रतिभागी।
6. नियोजन अनुभाग—1
7. गार्ड फाईल।

25/4/19

(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में नेशनल एडाप्टेशन फण्ड ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत **"Climate resilience building in rural areas through crop residue management"** क्रियान्वयन के सम्बंध में दिनांक : 24.04.2019 को पूर्वाह्न –11:30 बजे कृषि उत्पादन आयुक्त सभाकक्ष में आहूत बैठक का उपस्थिति पत्रक :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम	मोबाईल/फोन नं0 एवं ई–मेल	हस्ताक्षर
1.	Anushree Gupta	NABARD	9454580209	[signature]
2.	Rajeev Kumar Baranwal	NABARD	9453004917	[signature]
3.	डा० सत्येन्द्र कुमार सिंह	संयुक्त कृषि निदे० (शोध एवं मृदा सर्वे०)	8009610009	[signature]
4.	उमाकान्त पाठक	संयुक्त सचिव (कृषि)	9454411198	[signature]
5.	नीरज कुमार श्रीवास्तव	संयुक्त कृषि निदेशक (अभि०)	9452098211	[signature]
6.	डा० सी० एस० यादव	पशुपालन विभाग	9450370727	[signature]
7.	सौरभ सिंह	कृषि विभाग	7570906001	[signature]

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम	मोबाईल/फोन नं0 एवं ई–मेल	हस्ताक्षर
8.	के0 के0 गुप्ता संयुक्त सचिव	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	9454413480	[signature]
9.	आर0 पी0 यादव	" "	7081202106	[signature]
10.	डा0 सुधीर कु0 पाण्डे	[illegible]	7075008501	[signature]
11.	पी0 पी0 ओझा	राज्य [illegible] / [illegible] उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड	9415004917	[signature]
12.				
13.				
14.				
15.				